

नई पंजीयन नीति

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर,
जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

क्रमांक: F-Registration/RMB/2013/

५०६७

Date 10-10-14

कार्यालय आदेश

विषय :- मदरसों का पंजीयन एवं क्रमोन्नत करने की नीति।

राजस्थान मदरसा बोर्ड में मदरसों का प्राथमिक स्तर में पंजीयन करने एवं उनको उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करने की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

प्राथमिक स्तर में पंजीयन नीति -

राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों को निम्न मानदण्ड पूर्ण करने पर बोर्ड में प्राथमिक स्तर के मदरसों के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा :-

1. मदरसा पूर्व में भली भांति चलता हुआ होना आवश्यक है।
2. मदरसे का स्वयं का भवन/भूमि होना आवश्यक है। मदरसे के पास भूमि का मालिकाना हक होना आवश्यक है। इसके लिए मदरसे के पास भूमि का पट्टा अथवा रजिस्ट्री आवश्यक है। यदि बख्तीसनामा, इकरारनामा, मुख्तियार नामा है तो उसका राज्य में स्थित किसी भी तहसीलदार/उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। इनका पंजीयन "केटेगरी-ए" में किया जाएगा।
3. मस्जिद/वक्फ सम्पति में संचालित मदरसे अथवा जिन मदरसों के भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक नहीं है एवं वह किराये के भवन में संचालित नहीं है, उन मदरसों का पंजीयन "केटेगरी-बी" में किया जाएगा।
4. मदरसे में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधा, पीने के पानी की माकूल सुविधा होना आवश्यक है।
5. प्राथमिक स्तर के पंजीयन हेतु मदरसे में न्यूनतम छात्र संख्या 35 होना आवश्यक है। किन्तु रेगिस्ट्रारी एवं पहाड़ी जिलों/मेस्चालित मदरसों में न्यूनतम छात्र संख्या 20 होना आवश्यक है।
6. मदरसा समाज द्वारा मनोनीत/निर्वाचित प्रबन्धन समिति द्वारा संचालित हो तथा जहां विद्यार्थी दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल करते हों।
7. मदरसा, समाज के द्वारा निर्मित मदरसा भवन/वक्फ सम्पति/मस्जिद से सम्बद्ध भवन में चलता हो तथा जहां बच्चे पूरे समय (5-6 घन्टे) दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल करते हों।
8. मदरसा बिना लाभ हानि के नाम मात्र की फीस से संचालित हो।
9. निजी लाभ के लिए 'निजी व्यक्ति या ग्रुप द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य' से संचालित मदरसों का पंजीयन नहीं किया जाएगा।
10. मदरसे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते की पासबुक एवं निरस्त चैक की प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है।
11. मदरसे को सरकार/मदरसा बोर्ड से जो भी अनुदान/सहायता राशि मिलेगी उसका नियमित लेखा जोखा मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार रखना होगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्देशानुसार प्रस्तुत करने होंगे।
12. न्यायिक विवाद होने पर माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में यदि सरकार/राजस्थान मदरसा बोर्ड को पक्षकार बनाया जाता है तो ऐसे मामले में न्यायिक निर्णय मानने हेतु सम्बन्धित मदरसा बाध्य होगा।

पंजीयन केटेगरी

1. पंजीयन दो श्रेणियों में किया जाएगा। "केटेगरी-ए" एवं "केटेगरी-बी"
2. "केटेगरी-ए" में पंजीकृत मदरसों को समस्त भौतिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता यथा साजौ सामान एवं शिक्षा सहयोगी उपलब्ध करवाए जा सकेंगे।

3. वह मदरसे जो उपरोक्तानुसार भूमि के मालिकाना हक के संबंध में योग्यताएं पूर्ण नहीं करते हैं, किन्तु अन्य सभी योग्यताएं पूर्ण करते हैं, तथा किराए के भवन में संचालित नहीं हैं। उन मदरसों का "कैटेगरी-बी" में पंजीयन किया जा सकेगा। इन मदरसों को भवन निर्माण मद में अनुदान नहीं दिया जाएगा। शिक्षा सहयोगी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

पंजीयन प्रक्रिया :-

1. पंजीयन हेतु मदरसे को बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
 1. मदरसे के सदर/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक सत्यापन प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
 2. सदर एवं सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अलग-अलग शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 3. मदरसे की भूमि एवं भवन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 4. मदरसे के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज
 5. मदरसे का उद्देश्य एवं संविधान, यदि कोई निर्धारित कर रखा है।
 6. मदरसा संचालन का रिकॉर्ड - यथा बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉफ रजिस्टर, मदरसा प्रबंधन कमेटी का कार्यवाही विवरण आदि
 7. मदरसे में अध्ययनरत विद्यार्थियों की नामवार व कक्षावार सूची
 8. मदरसे में अध्ययन करवा रहे शिक्षकों एवं मौलियियों की सूची, योग्यता विवरण मय प्रमाणित वोटर आई.डी., नमूना हस्ताक्षर के साथ।
 3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं भौतिक सत्यापन में तथ्यों का अनुमोदन कर आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय को भिजवाएंगे।
 4. मदरसा आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा अथवा मदरसा बोर्ड से 100/- रुपये का शुल्क देकर छपा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
 5. पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है, उक्त राशि का बैंक ड्रॉफ्ट "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" के नाम से तैयार करवाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
 6. पंजीयन नीति के अनुसार योग्य पाए गए मदरसों का पंजीयन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ-साथ पंजीयन आदेश भी जारी किया जाएगा।
 7. प्रत्येक पांच वर्ष बाद मदरसे को पंजीयन का पुनरावलोकन करने हेतु आवेदन करना होगा। पुनरावलोकन में यदि मदरसा संचालित नहीं है अथवा पंजीयन की शर्त पूर्ण नहीं करता है, तो मदरसे का पंजीयन निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड को होगा।

औचक निरीक्षण :-

पंजीकृत मदरसों का मदरसा संचालन के समय में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधिकृत अधिकारियों/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। औचक निरीक्षण में मांगे गए दस्तावेज निरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

पंजीयन सक्षमता :- निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले मदरसों का पंजीयन करने का कार्य राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीयन आदेश जारी किये जायेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों की क्रमोन्नयन नीति

प्रस्तावना :- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक: प.16(2)शिक्षा-1/प्राशि./99/पार्ट-1 दिनांक 23. 10.2009 द्वारा बोर्ड में प्राथमिक स्तर के पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों के रूप में क्रमोन्नत करने हेतु दिशा निर्धारित किये गए थे।

शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित नीति में विभाग बदलने के कारण आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों के क्रमोन्नत करने की नीति के निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित करते हुए क्रमोन्नयन नीति निर्धारित की जाती है :-

निर्धारित मानदण्ड	न्यूनतम योग्यता
1 रजिस्ट्रेशन	मदरसा बोर्ड में प्राथमिक स्तर के मदरसे के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है।
2 भवन	6 कक्षा-कक्ष, एक प्रधानाचार्य / स्टॉफ कक्ष, स्टोर, पेयजल, शौचालय छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग
3 भूमि	मदरसे की स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। भूमि के मालिकाना हक, पट्टा विक्रय पत्र पंजीकृत बक्सीसनामा मदरसा/मदरसा प्रबंधन कमेटी के पास होने आवश्यक है।
4 वित्तीय संस्था के आय के स्रोत	1. मदरसा के खाते में 10,000/- (दस हजार) रुपये की सावधि जमा (एफ.डी.) खाते में होना चाहिए, जो निकाले नहीं जाने चाहिए। 2. मदरसे की नियमित आय का आंकड़न एवं उक्त आय के स्थायी स्रोत, होने का स्पष्ट विवरण। 3. स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण पत्र। 4. मदरसे के बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति। 5. मदरसे के बैंक खाते के निरस्त चैक की प्रति।
5 स्टॉफ	1. प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी अध्यापक समकक्ष), प्रशिक्षित स्नातक - 1 (एक) 2. अध्यापक-प्रशिक्षित - प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक 3. शारीरिक शिक्षक (प्रशिक्षित) - 1 (एक) 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 1 (एक)
6 फर्नीचर	1. उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी डेस्क की मेज/स्टूल-बैंच, दरी-फर्श-छात्र संख्या के अनुसार 2. अध्यापक मेज और कक्षा/वर्ग कुर्सी के अनुसार 3. प्रधानाध्यापक मेज - एक 4. प्रधानाध्यापक कक्ष कुर्सी - पांच 5. अध्यापक कक्ष मेज बड़ी - एक 6. अध्यापक कक्ष कुर्सी - पांच 7. आलमारी 1. प्रधानाध्यापक - दो 2. परीक्षा और कार्यालय अभिलेख - दो
7 पुस्तकालय	1. दैनिक समाचार पत्र - दो 2. बालोपायोगी पत्रिका - दो 3. साप्ताहिक पत्रिका - एक 4. पुस्तक - 300 अतिरिक्त
8 अध्ययन/अध्यापन सामग्री	1. ब्लैक बोर्ड - कक्षानुसार आवश्य 2. ज्योमेट्री बैंक्स लकड़ी का बड़ा - एक 3. ग्लोब बड़ा - एक 4. चार्ट - पाठ्यक्रम के अनुसार 5. मॉडल्स - पाठ्यक्रम के अनुसार 6. नक्शे - जिला, राज्य, देश और विश्व - एक सैट 7. प्राकृतिक, राजनीतिक, घनसम्पदा, खनिज एवं यातायात - एक सैट 8. रोल अप बोर्ड - तीन 9. पाठ्यक्रम - एक सैट 10. पाठ्यपुस्तक - प्रति कक्षा-एक सैट 11. अध्यापक संदर्शिका - प्रति कक्षा एक सैट 12. विज्ञान सामग्री - आवश्यकतानुसार
9 खेल सामग्री	1. फुटबाल - चार 2. बॉलीबाल मय नेट - चार 3. हैण्डबॉल - दो 4. सॉफ्ट बॉल - दो 5. शॉट पुट (जूनियर) - एक 6. डिस्क (जूनियर) - एक 7. जेवेलियन - एक
10 फीस	निःशुल्क/आवश्यकता हो तो मामूली फीस समुदाय की साधारण सभा में निर्धारित करानी होगी तथा बोर्ड से उसका अनुमोदन लेना होगा।

11 गणवेश (यूनीफार्म)	मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित
12 पाठ्यक्रम	यथावत परन्तु दीनी तालीम का पाठ्यक्रम मदरसा प्रबंधन समिति के अनुसार होगा।
13 छात्रावास	इस क्रम में राज्य सरकार व बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
14 प्रबन्ध समिति	मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पंजीयन मानदण्डों के अनुसार 11 सदस्यीय मदरसा प्रबंधन समिति होगी। जो पहले से ही पंजीकृत होगी, मान्यता के समय इसका बोर्ड द्वारा सत्यापन करवाया जायेगा।
15 क्षेत्र	1. विद्यालय के आसपास का वातावरण प्रदूषण रहित होगा। 2. एक कि.मी. की दूरी में अन्य पंजीकृत मदरसा न हो। शहर के मामले में सम्बन्धित मौहल्ले में अन्य मदरसा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का न हो तथा कक्षा 6 से 8 में न्यूनतम 30 छात्र हो एवं पहाड़ी तथा रेगिस्ट्रान जिलों में 15 छात्र।
16 वेतन भत्ते	मदरसा बोर्ड द्वारा पदस्थापित मदरसा शिक्षा सहयोगियों को मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अन्य सुविधाएं दी जायेगी, तथा मदरसा कमेटी द्वारा पदस्थापित शिक्षकों का वेतन / मानदेय मदरसा प्रबंधन समिति स्वयं निर्धारित कर अपने स्तर से भुगतान करेगी।
17 विविध	संस्था साम्रादायिक तथा राजनीतिक कार्यकलापों में भाग नहीं लेगी तथा किसी व्यक्ति विशेष अथवा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए।
18 विद्यार्थी कल्याण	विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम, खेल एवं प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी तथा चरित्र निर्माण और नैतिकता की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।
19 निरीक्षण	संस्था की जांच/निरीक्षण किसी भी समय मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। संस्था को सभी आवश्यक अभिलेख/विवरण तुरन्त उपलब्ध कराने होगे।
20 प्राथमिक स्तर में पंजीकरण	क्रमोन्नयन हेतु मदरसे को "कैटेगरी-ए" में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। उक्त नीति पॉलिसी निर्धारित करने से पूर्व जिन मदरसों का प्राथमिक श्रेणी में बगैर कैटेगरी के पंजीयन किया गया है, उनको क्रमोन्नत करते समय अन्य मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा।

क्रमोन्नयन प्रक्रिया :-

- आवेदन प्रपत्र—पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा।
- मदरसा आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड से 100/- रुपये का शुल्क देकर छापा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
- मान्यता शुल्क — मान्यता शुल्क रु. 1000/- होगा। उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" के नाम से बनाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- शपथ पत्र :— आवेदन पत्र के साथ मदरसा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा शपथपत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति पाए जाने पर आवेदन पत्र को राजस्थान मदरसा बोर्ड को अपनी अभिशंषा के साथ अग्रेषित करेंगे।
- बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर क्रमोन्नयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमोन्नत करने की सक्षमता :-

निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले मदरसों को क्रमोन्नत करने के आदेश राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा जारी किये जायेंगे।

मान्यता सम्बन्धित विवादों का निस्तारण :-

मदरसे को मान्यता देने अथवा नहीं देने पर विवाद होने की स्थिति में निम्न सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाती है, जिसकी अभिशंषा राज्य सरकार को भेजी जाएगी। कमेटी की अभिशंषा राज्य सरकार निर्णय करेगी। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

- अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
- निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर/अथवा प्रतिनिधि
- सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य सचिव

मदरसों को राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से सुविधाएं एवं शिक्षा सहयोगियों का निर्धारण – मदरसों को भौतिक एवं वित्तीय सुविधाओं एवं शिक्षा सहयोगियों के निर्धारण के प्रस्ताव राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा तैयार कर अपनी अभिशंषा राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों को भौतिक एवं वित्तीय सुविधाएं दी जाएगी।

यह आदेश माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलात विभाग की आई.डी. क्रमांक: 225/MOS/MA/13 Date 03-12-2013 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते हैं।

(शकुन्तला सिंह)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग

जयपुर

Date 10-10-14

क्रमांक: F-Registration/RMB/2013/ 4070 - 4102

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है –

1. संयुक्त सचिव, (पी.सी.) मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
4. उप निदेशक, संभाग..... अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला.....
6. सहायक निदेशक—गा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग

जयपुर